कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (**53/26** दिनांक **13.08.2026)**

10 तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले में STSF मध्यप्रदेश की बड़ी कार्यवाही संगठित गिरोह का 9 वा आरोपी दिल्ली निवासी गिरफ्तार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में दिनांक 23 जुलाई 2026 को आगरा (उ.प्र) में तेंदुए की 10 नग खालो के साथ तस्करों को पकड़ा गया था। इस प्रकरण के तार मध्यप्रदेश से जुड़े होने पर STSF मध्यप्रदेश एवं स्थानीय वन अमले द्वारा गठित टीमों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए लिप्त 07 शिकारियों को गिरफ्तार कर, उनकी निशानदेही पर श्योपुर व मुरैना जिले से भारी मात्रा में तेंदुए के अवयव, कंकाल जप्त किया गया। उनके द्वारा कुल 10 तेंदुआ को शिकार किया जाना स्वीकारा गया है, जिसमे से 06 कुनो वन्यजीव वनमंडल मे ,02 श्योपुर वनमण्डल मे तथा 02 चम्बल अभ्यारण, मुरैना वनमंडल मे किया जाने की पुष्टी हुई है साथ ही शिकार मे प्रयुक्त 03 नग फंदे (Leg Hold Trap) भी जप्त हो चुके है।गया। उक्त शिकार क्षेत्र Chettah Landscape मे शामिल है, अतः इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी लिप्त आरोपियों की गहन तलाश जारी है।

प्रकरण में आये वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर एक आरोपी को मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) एवं केंद्र सरकार के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों (WCCB) नई दिल्ली के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 11.08.2026 को नई दिल्ली से भी गिरफ्तार किया। अग्रिम कार्यवाही मे गिरोह मे संलिप्त एक ओर मुख्य आरोपी वसीम अकरम पिता नसीम अहमद, उत्तम नगर नई दिल्ली Wildlife SOS में कार्यरत है उसको भी दिनांक 13.08.2026 को गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में विवेचना जारी है एवं इस संगठित गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल